

# समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

## वृद्धावस्था भरण पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना प्रपत्र)

1. पेंशन योजना का नाम (जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है).....
2. बी.पी.एल. नम्बर या बी.पी.एल. राशन कार्ड या वार्षिक आय.....  
(उपरोक्त में से कोई एक)
3. आवेदक का नाम.....
4. पिता/पति का नाम.....
5. स्थायी पता:-ग्राम/मौहल्ला.....पोस्ट.....  
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....न्याय पंचायत.....  
विकास खण्ड.....तहसील.....जनपद.....
6. पत्र व्यवहार का पता (यदि स्थायी पते से अलग रह रहे हो):-  
ग्राम/मौहल्ला.....पोस्ट.....  
विकास खण्ड.....तहसील.....जनपद.....
7. जन्म तिथि/आयु.....(रजिस्टर भाग-II/फोटो पहचान पत्र/शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)
8. उस डाकघर/बैंक का नाम जहां पेंशन भुगतान हेतु खाता खोला जायेगा.....  
(यदि डाकघर / बैंक में पूर्व से खाता खुला है तो उसका खाता संख्या/शाखा का नाम)
9. जाति.....

नवीनतम फोटो जो  
ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र  
पंचायत, जिला पंचायत,  
अध्यक्ष/सभासद नगर  
पालिका/पंचायत, ग्राम  
पंचायत विकास अधिकारी  
से सत्यापित

### अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार

सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूंगा/करूंगी।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि (मात्र वृद्धावस्था पेंशन के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
के हस्ताक्षर व मुहर

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
के हस्ताक्षर

शहरी क्षेत्र के लिये

तहसीलदार के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

नोट : बी0पी0एल0 धारक/एक हजार रुपये मासिक आय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त ही आवेदन करें।